अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध

परिपत्र संख्या-03 /सामा-1(5)/2020

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 16 मार्च,2020

विषयः- कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के सम्बन्ध में।

आप भली-भॉति जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण आम जन में बीमारी होने की संभावना उत्पन्न हो गयी है, जिससे लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में परिपत्र संख्या- 02/सामा-1(5)/2020, दिनॉक 11 मार्च, 2020 द्वारा सावधानी बरतने हेतु निर्देश दिये गये थे। स्थिति की गंभीरता के दृष्टिगत कारागारों में निरूद्ध बन्दियों एव कार्मिकों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैंः-

- कारागार स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर लिया जाये, जिसमें अधीक्षक, कारापाल, चक्राधिकारी, चिकित्साधिकारी तथा पैरामेडिकल स्टाफ का एक सदस्य होगा, जो प्रतिदिन इस आशय की सूचना प्राप्त करेगा कि कारागार में किसी बन्दी को तत्सम्बन्धी

लक्षण यथा-गले में खरास, बुखार आदि तो नही है यदि ऐसा है तो उसको तत्काल परीक्षण हेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को संदर्भित कर दिया जाय। तथा इस सम्बन्ध में जेल मैनुअल के प्रस्तर-634, 645 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

- समस्त बंदियों एवं कार्मिकों हेतु फेस मास्क उपलब्ध कराया जाये । कतिपय कारागारों में फेस मास्क तैयार कराये जा रहे हैं। उक्त कारागारों से सम्पर्क स्थापित कर फेस मास्क प्राप्त किये जा सकते हैं।
- ड्यूटी पर आने वाले कार्मिकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर, साबुन आदि उचित स्थान पर रख दिये जाये तथा उन्हें नियमित अन्तराल पर हाथ साफ करने के निर्देश दिये जाये ।
- मुलाकात पर आने वाले परिजनों एवं न्यायालय से आने वाले बंदियों के हाथ धुलाने की समुचित व्यवस्था यथा- साबुन, सेनेटाइजर, पानी आदि साधन उपलब्ध करा दिया जाये।
- जनपद न्यायाधीशों से मिलकर बंदियों का रिमांड शत-प्रतिशत वीडियोकान्फेंसिंग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध करें ताकि बंदियों को भीड़ में सम्पर्क होने के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके तथा बंदियों के ट्रायल हेतु भी वीडियोकांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुरोध कर लिया जाये।
- जेल मैनुअल के प्रस्तर-19 में संगरोध **(Quarantine)** बैरक में समस्त नये आने वाले बंदियों को 10 दिन तक रखने का प्राविधान है जिसका अक्षरशः पालन किया जाय तथा यदि बैरक में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नही है तो आवश्यकतानुरूप एक अथवा दो अन्य बैरकों को भी संगरोध बैरक के रूप में प्रयोग किया जाय तथा उक्त अवधि में चिकित्सक द्वारा नियमित बंदियों का परीक्षण कर लिया जाय तथा उक्त में बंदियों को रखने की अवधि चिकित्सक के परामर्श से बढ़ाई जा सकती है।
- विचाराधीन बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों की सप्ताह में 03 बार मुलाकात कराये जाने की व्यवस्था है। अधीक्षक यदि आवश्यक समझे तो उक्त व्यवस्था को जेल मैनुअल के प्रस्तर -708 के अन्तर्गत कम किया जा सकता है।

- बंदियों को परिजनों से दूरभाष पर वार्ता किये जाने की नियमित व्यवस्था में ढ़ील प्रदान करते हुये उसकी आवृत्ति बढ़ाने एवं वेरीफिकेशन न होने की स्थिति में शपथ पत्र प्राप्त कर अनुमन्य करने पर विचार किया जा सकता है।
- जेल मैनुअल में बंदियों को पत्र लिखने की सुविधा भी अनुमन्य है। उन्हें पत्र लिखे जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि मुलाकात के दौरान बंदियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से रोका जा सके।
- बंदियों को धूप में बैठने का समुचित अवसर दिया जाय और उनको अपने कपड़ो आदि को धूप में धोने का अवसर प्रदान किया जाय।
- कारागारों में गीजर लगाये गये हैं। यदि आवश्यक हो तो बंदियों को गरारा करने हेतु गरम पानी भी उपलब्ध करा दिया जाय।
- कारागारों में निरूद्ध 50 वर्ष से अधिक आयु के बंदियों को इस बीमारी से अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। अतः इस ओर समुचित ध्यान दिया जाये ।

कारागार के समस्त कार्मिकों एवं बंदियों को इस महामारी की स्थिति में सम्पूर्ण सावधानी लेते हुये बचाया जाना आपका सामाजिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व है जिसे सम्पूर्ण परिश्रम एवं कार्य कुशलता से किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल मुख्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

16/3/20

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृ0सं0- /सामा-1(5)/2020, तद्दिनॉक मार्च, 2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर महानिरीक्षक (प्र0/वि0) को प्रशिक्षणार्थी व कार्मिकों को इस समबन्ध में सचेत (Sensitize) करने हेतु ।
2. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार को इस आशय से प्रेषित है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को Sensitize कराना सुनिश्चित करें।
3. कारागार मुख्यालय के समस्त अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रशासनिक अधिकारी, नजारत अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय के समस्त कार्मिकों को Sensitize करने हेतु एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
5. प्रभारी कंट्रोल रूम को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी सूचना को तत्काल पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार अथवा अपर महानिरीक्षक (मु0) को संज्ञानित कराने हेतु।

(डा0 शरद)
अपर महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।